

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

पृष्ठाकान क्रमांक ३।२।१५ /

जबलपुर, दिनांक ॥ ०३/०३/२०१९  
०५

### प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ, इंदौर, इंदौर(म.प्र.),
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर ग्वालियर(म.प्र.),
3. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश .....समस्त,
5. पीठासीन अधिकारी, परिवार न्यायालय.....समस्त,(म.प्र.),
6. मेम्बर सेक्रेट्री मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा समिति,
7. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. ओ.एस.डी. ....(समस्त)
9. रजिस्ट्रार(प्रशा.) /न्यायिक १ एवं २/डी.ई/ई./ आई.एल./कम-पी.पी.एस. /इंस्पेक्शन एण्ड विजीलेंस/परीक्षा एवं लेबर जूडी./सतर्कता, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
11. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. असिस्टेंट रजिस्ट्रार.....समस्त, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
14. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
15. अनुभाग अधिकारी /इंचार्ज .....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
17. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/सतर्कता/(आई.एल.आर. एवं परीक्षा), महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
18. रिफरेन्स लाइबेरियन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
19. ग्रंथपाल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
20. सहायक संपादक (आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
21. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/लेखा/वेतन पत्रक (राजपत्रित)/अवकाश (राजपत्रित) /अवकाश/वेतन पत्रक/ वेतन निर्धारण/बजट/पेंशन/ सी.पी.एफ, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संलग्न :—म.प. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,  
भोपाल का पत्र दिनांक 12.03.2019

१०.५.१९  
(सतीश चन्द्र राय)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)



मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ ५-२/२०१९/१/८  
प्रति,

भोपाल, दिनांक १२/०३/२०१९

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. गवालियर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,  
मध्यप्रदेश।

विषय:- उच्च न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसरों के सीमित  
किए जाने के कारण त्वरित कार्यवाही के संबंध में।

विषयान्तर्गत आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि  
उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय  
मध्यप्रदेश द्वारा High Court Rules-2008 में संशोधन किया गया है।  
उक्त नियमों के Chapter V REGISTRY (A) Powers, Duties  
and Functions of The Registrar:-की कंडिका 1 (1) (cc)  
निम्नानुसार है:-

1. (1) (cc) to grant extension of time for filing  
pleadings/filing of return/rejoinder, provided that the  
Registrar shall not grant more than two extensions for  
the same purpose and at a time no more than 15 days  
time shall be given for compliance of the directions.

2/ इसी कंडिका में संशोधन द्वारा निम्नानुसार पैराग्राफ जोड़ा गया  
है:-

If after extension of time by the Registrar, no  
pleadings/ return/rejoinder is filed by the party (s), his  
opportunity of such filing shall be deemed to be closed  
and matter be treated as ripe for final hearing unless  
request has been made by the concerning party before  
the Bench.

2/ नियमों में तदनुसार संशोधन से स्पष्ट है कि प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत करने, रिजाइण्डर प्रस्तुत करने एवं डिफाल्ट दूर करने हेतु प्रिसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय द्वारा केवल दो बार 15-15 दिन का अवसर दिया जाएगा। इसके उपरांत जवाब प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त माना जावेगा।

3/ अतः अनुरोध है कि उच्च न्यायालय में आपके विभाग के प्रचलित प्रकरणों में जवाब/रिजाइण्डर आदि प्रस्तुत करने हेतु शीघ्रता से कार्यवाही की जाए। इस संबंध में आपके अधीनस्थ कार्यालयों, न्यायालयीन प्रकरणों के नोडल अधिकारियों तथा प्रभारी अधिकारी को अवगत कराते हुए यह भी निर्देशित किया जाए कि प्रिसीपल रजिस्ट्रार द्वारा अवसर प्रदान किए जाने वाले प्रकरणों की प्रतिदित मॉनिटरिंग करें और सुनवाई की तिथि से पर्याप्त समय पहले ही जवाब/रिजाइण्डर आदि प्रस्तुत किया जाए।

4/ यह भी अनुरोध है कि न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाने संबंधी आदेश में प्रभारी अधिकारी का ई मेल एड्रेस तथा मोबाइल नम्बर अंकित कर आदेश की एक प्रति उच्च न्यायालय की संबंधित पीठ के अनुसार, कार्यालय संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय, जबलपुर, इन्दौर अथवा ग्वालियर को भी आवश्यक रूप से भेजी जाए।

*dk*  
( व्ही.सी. सेमवाल )  
अपर मुख्य सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5-2/2019/1/8  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक १२/०३/२०१९

- 1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
- 2 रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर
- 3 सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर,
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
9. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
11. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
12. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
14. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, भोपाल।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
17. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, (समस्त कक्ष) मंत्रालय, भोपाल
18. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर।

27/3/2019

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
26 MAR 2019
Reg No. .... 2528
Receipt Clerk
H.Court Jabalpur

(मनीषा सेंतिया)

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

